

इस बार 16 भाषाओं में जनगणना होगी। इस पर करीब 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। 31 लाख से ज्यादा कर्मचारी जनसंख्या में भाग लेंगे। इस बार की जनसंख्या में शौचालय से लेकर आपके खाने के अनाज तक के बारे में सवाल पूछा जाएगा।

इस बार एनपीआर और जनगणना का कार्य एक साथ होगा। इसमें तीन काम होंगे- एनपीआर, सेंसस और हाउसहोल्ड सर्वे। तो तैयार रहिए **हाउस होल्ड सर्वे के 31 सवालों के लिए**, जो कर्मचारी आपके घर कर पहुंचकर आपसे पूछेंगे...

**मोबाइल ऐप से एकत्र होगा डेटा** : डेटा एकत्र करने के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए केंद्रीय पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जनगणना का काम बेहतर तरीके से जल्दी निपटाया जा सकेगा। ऐप का बटन दबाते ही डेटा भेजा जा सकता है।

**पहली बार बनेगा NPR** : 2021 की जनगणना में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) तैयार किया जाएगा, जो कानून-व्यवस्था, लैंगिक समानता जैसे कई मुद्दों में सहायता करेगा।

**कौनसे होंगे वे 31 सवाल :**

1. मकान का नंबर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया हुआ।
2. जनगणना का मकान नंबर।
3. मकान के फर्श, दीवार, छत में प्रयुक्त सामग्री।
4. मकान का क्या उपयोग हो रहा है। (जैसे- कारखाना, दुकान, किराएदार)
5. मकान की स्थिति।

6. परिवार का क्रमांक।
7. परिवार के सदस्यों की संख्या।
8. परिवार के मुखिया का नाम।
9. परिवार के मुखिया का लिंग।
10. परिवार के मुखिया कौन-सी जाति है।
11. मकान का स्वामी कौन है।
12. मकान में कमरों की संख्या।
13. परिवार में कितने शादीशुदा व्यक्ति हैं।
14. पेयजल का मुख्य स्तोत्र क्या है।
15. पेयजल कहा से आता है।
16. बिजली का मुख्य स्तोत्र।
17. शौचालय की जानकारी।
18. शौचालय के प्रकार।
19. गंदे पानी की निकासी।
20. बाथरूम की उपलब्धता।
21. रसोईघर और एलपीजी पीएनपीजी कनेक्शन की उपलब्धता।
22. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है।

23. रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं।
24. टीवी घर में है या नहीं।
25. इंटरनेट की सुविधा।
26. लैपटॉप या कम्प्यूटर है या नहीं।
27. साइकल, स्कूटर, मोटरसाइकल, मोपेड है या नहीं।
28. कार, जीप या वैन है या नहीं।
30. परिवार द्वारा खाया जाने वाला मुख्य अनाज।
31. मोबाइल नंबर (जनगणना की सूचना देने के लिए)।

\*\*\*\*\*

राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयन (NPR) का काम घरों की सूची के चरण के साथ ही अंजाम दिया जाएगा। जनगणना के दौरान लोगों के लिए ऑनलाइन खुद ही गणना दर्ज कराने की सुविधा होगी।

महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने एनपीआर प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच कहा कि जनगणना के आंकड़े गोपनीय हैं और इसे कानून के तहत गारंटी मिली हुई है और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा।

RGI ने कहा कि आपके डाटा की गोपनीयता को जनगणना कानून, 1948 के तहत गारंटी मिली हुई है और इसी कानून में नियम के

प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों और जनगणना अधिकारियों के लिए जुर्माने का भी प्रावधान है।

RGI ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारतीय जनगणना दुनिया में सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्य है जिसमें 30 लाख से अधिक लोग कार्य करते हैं और इसमें करीब 8,700 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जनगणना, 2021 का घर सूचीबद्ध करने का चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक चलेगा।

जनगणना की संदर्भ तारीख 1 मार्च 2021 है लेकिन बर्फबारी वाले राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यह 1 अक्टूबर 2020 होगी। कुछ राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि वे अब एनपीआर में हिस्सा नहीं लेंगे। केरल और पंजाब की विधानसभाओं ने एनपीआर के विरोध में प्रस्ताव पारित किए हैं।

**केरल अपनी जनगणना करेगा** : केरल सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को सूचित करने का निर्णय लिया है कि वह अपनी जनगणना करेगा। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने दोनों निकायों को सूचित किया कि वे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू नहीं करेंगे। यह केरल द्वारा CAA, NPR के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के बाद आया है।

राज्य सरकार के फैसले के बारे में थॉमस इसाक ने कहा, यह केरल में विरोधाभासी होगा क्योंकि विधानसभा ने सर्वसम्मति से एनपीआर के खिलाफ एक प्रस्ताव अपनाया है और इसे जनगणना

के साथ-साथ रखा जाना है। लोग सहयोग नहीं करेंगे। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर केरल एकजुट है।

\*\*\*\*\*

www.gkhindi.in